

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 05/10/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 04.10.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की कोशिश की नीयत से हमला करने के आरोप में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.10.2025 को दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन को जा रहे आयोजक और साथ चलने वालों को गाली गलौज देते हुए जान मारने की नीयत से हमले का प्रयास करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी श्री अच्छेलाल गुप्ता पुत्र फुन्नीराम निवासी ग्राम महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 766/2025 धारा 191(2), 109, 62, 115(2), 125, 131, 352, 351(3) बी0एन0एस0 बनाम मो0 कुतुबुद्दीन उर्फ सोल्जर पुत्र किताबू उर्फ किताबुद्दीन निवासी महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना अभियुक्त मो0 कुतुबुद्दीन उर्फ सोल्जर पुत्र किताबू उर्फ किताबुद्दीन निवासी महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष को महाराजगंज हाईवे तिराहा के पास से आज दिनांक 04.10.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता:-

1 .मो0 कुतुबुद्दीन उर्फ सोल्जर पुत्र किताबू उर्फ किताबुद्दीन निवासी महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 766/2025 धारा 191(2),109,62,115(2),125,131,352,351(3) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली गाजीपुर ।

2. थाना करण्डा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 186/2025 धारा 64(2)(f), 351(3)

BNS से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उ०नि० श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 186/2025 धारा 64(2)(f), 351(3) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त सनी वर्मा पुत्र नन्दलाल वर्मा निवासी गाँव जगाधरी थाना सदर जिला यमुनानगर, हरियाणा को गोशन्देपुर शिव मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.सनी वर्मा पुत्र नन्दलाल वर्मा निवासी गाँव जगाधरी थाना सदर जिला यमुनानगर, हरियाणा
आपराधिक इतिहास-

1.मु०अ०सं० 186/2025 धारा 64(2)(f), 351(3) BNS थाना करण्डा, गाजीपुर

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**